राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,

क्रमांक एफ.3(182)सू.प्रौ. / लेखा / 15 / I/37853/2015 जयपुर, दिनांक : 3-09-15

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
जिला कार्यालय समस्त।

विषयः आय व्ययक अनुमाननुमान वर्ष 2016–17 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2015–16 के बजट प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला कार्यालय एवं अधीनस्थ उपखण्ड /तहसील कार्यालयो में स्वीकृत इस विभाग पदो के लिये लेखा शीर्ष 3454-02-203-01-02/ 3454-02-789-01-03/ 3454-02-796-02-03 (आयोजना) के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये आय–व्ययक अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2016–16 के लिये संशोधित अनुमान के बजट प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र संख्या 8 व 9 में तैयार करवाकर दिनांक 30.09.2014 तक **exp.accounts.doit.rj@nic.in** पर मेल करने का श्रम करावें ताकि समेकित बजट अनुमान वित्त विभाग में समय पर प्रस्तुत किये जा सकें। समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भविष्य में बजट आवंटन नहीं हो पायेगा ।

जिला कार्यालय एवं अधीनस्थ उपखण्ड /तहसील कार्यालयो के कार्मिको हेतु यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता मद में यदि कोई अतिरिक्त बजट मांग हो तो, इस हेतु बकाया दायित्वो की सूची कार्मिकवार प्रस्तुत की जावें।

प्रपत्र संख्या 8 व 9

Sd-
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि

1. श्रीमती दीपशिखा सक्सेना , सिस्टम एनालिस्ट (सयुक्त निदेशक), प्रभारी अधिकारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

वित्तीय सलाहकार

प्रपत्र-8

निश्चित व्ययों के विस्तृत अनुमान अर्थात् अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन अनुमान वर्ष ———— (अप्रैल से मार्च तक)

(बजट आंकलन अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारियों को प्रस्तुत करने हेतु)

कार्यालय का नाम...................... **विभाग का नाम................**

लेखे का शीर्ष: मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष .... आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

(रूपये सहस्त्र में)

क्रम संख्या	नाम	जी.पी.एफ. नम्बर / एन.पी.एस. नम्बर	पद	पद का स्वीकृत वेतन		बजट की प्रारम्भिक तिथि, यानि 1 मार्च को कर्मचारी का वेतन	पहली मार्च से अंतिम फरवरी के लिए निर्धारित रकम	वृद्धि जो इस अवधि में होगी		आगामी वर्ष के लिए अनुमान (कॉलम 8 और 10 का योग)	चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान	विशेष विवरण
				पे-बैंड	ग्रेड पे			तिथि वृद्धि	रकम वृद्धि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

नोट - (1) उक्त परिपत्र के अधिकांश कॉलम्स में सूचना एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में पे-मैनेजर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर **स्वत: दर्शित होगी जिसमें आवश्यक संशोधन कार्यालय / विभाग स्तर पर किए जा सकेंगे।**

(2) 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन विवरण को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-9

व्यय के विस्तृत बजट अनुमान (मय 'संवेतन' विस्तृत शीर्ष सहित)

वित्तीय वर्ष .... (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) का

कार्यालय का नाम...................... **विभाग का नाम................**

लेखे का शीर्ष: मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष ....

आयोजना भिन्न / आयोजना (राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता सहित) **(रुपये सहस्त्र में)**

क्रम संख्या	विस्तृत लेखा शीर्षक	दत्तमत / प्रभृत	वास्तविक व्यय आंकड़े (गत तीन वर्षों के)			आय-व्ययक अनुमान (चालू वर्ष)	वास्तविक व्यय आंकड़े			अगस्त से मार्च तक का संभावित व्यय (चालू वर्ष)	संशोधित अनुमान (चालू वर्ष) (9+11)	संशोधित अनुमान में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	आय-व्ययक अनुमान (आगामी वर्ष)				वृद्धि (+) या कमी (-)			नवीन आइटम	विशेष विवरण
							अगस्त से मार्च तक (गत वर्ष)	अप्रैल से जुलाई तक (चालू वर्ष)	कॉलम 8 व 9 का योग				कमिटेड (Com mitted)	नवीन (New)	कुल (14+15)	राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कॉलम 7 और 12 में	कॉलम 10 और 12 में	कॉलम 12 और 16 में	हां / नहीं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए सर्वप्रथम बजट शीर्ष भरना होगा। तत्पश्चात आयोजना भिन्न / आयोजना का चयन करना होगा।

2. कॉलम संख्या 2 व 3 में चयन करना होगा। कालम 4,5,6,7,व 9 स्वत: दर्शित होंगे। कॉलम संख्या 8, 11,, 14, 15 एवं 21 में प्रविष्टि करना अनिवार्य है। इन कॉलम में प्रविष्टि करने से कॉलम 10, 12, 16, 18, 19 व 20 में राशियां स्वत दर्शित हो जावेगी। आयोजना की सूचना के अन्तर्गत कॉलम संख्या 13 एवं 17 में भी प्रविष्टि करना अनिवार्य है। 'आयोजना भिन्न' की सूचना दर्ज करने पर ये दोनों कॉलम नहीं भरे जावेंगे।

3. आयोजना के अन्तर्गत संशोधित अनुमान चालू वर्ष (कॉलम संख्या 12) एवं आय-व्ययक अनुमान आगामी वर्ष (कॉलम संख्या 16) में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' की राशि भी सम्मिलित की जावे तथा सम्मिलित की गई इस राशि को 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' (क्रमशः कॉलम संख्या 13 व 17) में भी अंकित किया जावे।

4. अगर नवीन आइटम (कॉलम संख्या 21) में 'हाँ' का चयन किया गया है तो निम्न प्रपत्र एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध होंगे तथा इनमें समस्त कॉलम की प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है। नवीन आइटम - **नवीन पद, कार्यालय सामग्री, भौतिक वस्तुएं, वाहन क्रय, किराए के वाहन, किराए की सेवाएं (Hiring of Services) एवं अन्य प्रकृति के हो सकते हैं। इनके लिए प्रपत्र निम्नांकित हैं**

नवीन पदों के लिए निम्नांकित प्रपत्र होगा:

क्रमांक	पद नाम	नया / क्रमोन्नयन	पे बैंड	ग्रेड पे	कुल पद	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

अन्य नवीन आइटम के लिए निम्न प्रपत्र होगा

क्रमांक	नवीन आइटम प्रकार	क्रय / किराया	आइटम का नाम	संख्या	आवर्ती व्यय मासिक	अनावर्ती भार	कुल वार्षिक भार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट: नवीन आइटम कॉलम संख्या 2 में वाहन होने पर ही कॉलम संख्या 3 में प्रविष्टि की जानी है।
उक्त सूचना प्रपत्र 9 के कॉलम 2 में दर्शाए गए प्रत्येक बजट शीर्ष के लिए भरी जायेगी।
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष